कार्यालय नगर परिषद, सवाई माधोपुर – राज.

ठेका अन्य निजी विज्ञापन से वसूली शरायतें

1. खुली नीलामी बोली द्वारा ठेका वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दिया जावेगा। इस ठेके की अवधि बोली स्वीकृत होने की दिनांक से 31 मार्च 2018 तक होगी। इस अवधि के बाद यदि परिषद के हित में होगा तो निर्धारित राशि बढ़ाकर उक्त ठेके की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2. इस ठेके में बोली लगाने से पूर्व 10000/– रूपये अमानता राशि के रूप में जमा कराने होंगे एवं न्यूनतम सरकारी बोली 2,00000/– रुपये होगी।
3. विज्ञापन बोर्ड लगाने की फीस 25/– रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिमाह से अधिक वसूल नहीं की जावेगी। अधिक वसूली करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
4. ठेका बोली समाप्ति पर बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर जमा करानी होगी एवं शेष 3/4 राशि सात दिवस में जमा कराने के बाद बोलीदाता को नियमानुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इकरार शरायतनामा भरकर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही बोलीदाता को परिषद का अनुमति पत्र प्राप्त कर ठेका कार्य आरंभ करना होगा। यह अनुमति पत्र हस्तानान्तरणीय नही होगा।
5. प्रथम बोलीदाता के द्वारा राशि जमा नही कराने पर उसकी अमानता राशि को जब्त कर ब्लेक लिस्टेड किये जाने का अधिकार नगर परिषद सवाई माधोपुर को होगा। ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था को दो वर्ष के लिए नगर परिषद द्वारा विभिन्न ठेकों से वंचित कर दिया जावेगा।
6. यह ठेका केवल अन्य निजी विज्ञापनों से वसूली हेतु दिया जावेगा। नगर परिषद द्वारा अधिकृत साइट्स अथवा नगर परिषद द्वारा पूर्व में जारी ठेके की साइट्स पर हो रहे विज्ञापनों पर यह लागू नही होगा।
7. निषेध :–

1. नगर परिषद की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विज्ञापन किसी भवन, पुल, मार्ग मय फुटपाथ, पेड़, नगर प्राचीर, नगर द्वार, बिजली या टेलीफोन के खम्भे पर, चल अचल वाहनों अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना स्वीकृति के नही लगायेगा, न चिपकायेगा, न लटकायेगा और न प्रदर्शित करेगा।
2. कोई भी व्यक्ति अथवा स्वामी निजी भवनों से ऐसे स्थान पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग में दिखाई देते हैं अथवा किसी भी आम रास्ते से प्रभावित होते हो किसी भी प्रकार के विज्ञापन आदि न तो चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चिन्हित करने की स्वीकृति देगा।
3. किसी भी किस्म का विज्ञापन जो सम्पत्ति विरूपण की परिभाषा में आवेगा, वह अनुमत नही होगा।
4. आम चुनाव सभा/लोकसभा/विधानसभा व नगर परिषद चुनावों के दौरान प्रचार प्रसार विज्ञापन बोर्ड बैनर आदि पर परिषद का पूर्ण नियंत्रण होगा। चुनाव के दौरान राशि भी परिषद ही जमा करेगी। बोलीदाता का कोई अधिकार नही होगा।

5. नगर परिषद को यह अधिकार होगा कि वह बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन जो अनुचित या गैर कूननी है या अशलील है या नागरिकों के लिए क्लेशकर है या जिनसे जन शांति भंग होने का अंदेशा हो या सार्वजनिक हित या सद्‌भावना में बाधक हो या बिना स्वीकृति लगाये हो या विशेषतया किसी विशिष्ट जन के आगमन पर बाधक समझा जावे या भद्‌दी हालत में रखा जाता है तो हटा दिया जायेगा या स्वच्छ करवा दिया जावेगा जिसका हर्जा–खर्चा बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।
6. प्रत्येक विज्ञापन सामान्यतया उसी फर्म या व्यक्ति का माना जावेगा जिसका कि उस पर नाम अंकित होगा जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जाये।
7. किसी भी राष्ट्रीय स्मारक पर विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जावेगा।
8. **प्रतिबंधः–**
    1. किसी भी वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुडेंर पर विज्ञापन की अनुमति नही दी जावेगी। किन्तु मुडेंर की पीछे छत पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते विज्ञापन मुंडेर से 3 फीट उंचाई से अधिक ना हो।
    2. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ और सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नही किया जावेगा। विज्ञापन बोर्ड लगाया जाने पर समान्यतया नाप 10x20, 10x10, 20x20, 15x30 फीट का होगा। इसका निचला भाग जमीन से या जमीन की सतह से 6 फीट उंचाई पर होगा किसी भी सड़क के आर–पार किसी प्रकार का कोई विज्ञापन न तो लटकाया जावेगा न ही प्रदर्शित किया जावेगा। किसी सड़क के मोड पर भी विज्ञापन या होर्डिंग लगाने की अनुमति नही दी जावेगी। कोई भी विज्ञापन यातायात चिन्हों से कम से कम 50 फुट दूर होगा।
    3. किसी भी सार्वजनिक भवन, प्राचीर पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नही करेगा। नगर को वस्तु शिल्पकला के संरक्षण एवं रख रखाव को ध्यान में रखकर विज्ञापन लगा सकेगा।
9. **मुक्तियां:–** सार्वजनिक दृष्टिकोण से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबंध नही होगा –

1. ऐसी सूचनाऐं या विज्ञापन निःशुल्क होंगे जो नगर परिषद, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा जनहित में उचित होना प्रतीत होते हैं।
2. नगर परिषद एवं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत उक्त विषय संबंधित समय–समय पर जारी आदेश एवं बनाये गये निंयम, उपनियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।

10. शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश किसी न्यायालय जो अपने कर्तव्यों के पालन में कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र या अन्य प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का निर्देश दें, उन विज्ञापनों पर कोई शुल्क देय नही होगा। इसके लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखा जावेगा। इन साईटों में नगर परिषद के निर्देशानुसार विज्ञापन बोर्ड लगवाने होंगे। इसमें साईज का कोई प्रतिबंध नही होगा।
11. जो कोई व्यक्ति अपने स्वयं के नाम के ऐसे विज्ञापन सूचनाऐं साईन बोर्ड या नाम पट्ट जो उसकी स्वयं की दुकान अथवा व्यवसाय अथवा नाम से संबंध रखते हों और स्वयं की ही दुकान अथवा विज्ञापन या भवन पर लगाये गये हो उन पर प्रभावशील नही होगा। मगर ऐसे विज्ञापन साईन बोर्ड 2 वर्गफुट से अधिक नहीं होंगे।

12. निम्नलिखित हस्त – विपत्र अथवा सूचना निःशुल्क चिपकाई जावेगी।
   1. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा नगर परिषद से प्राप्त समस्त सूचनाऐं।
   2. वे समस्त सूचनाऐं जो विशुद्ध धार्मिक को अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती है।

13. नगर परिषद के प्रत्येक राजस्व अधिकारी/ राजस्व निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/सहायक अभियंता/हल्का सफाई निरीक्षक अथवा वार्ड जमादार का कर्तव्य होगा कि शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित अनुज्ञा प्राधिकारी को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति का चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा। उपरोक्त शर्तों पर इकरार नामा पर अंकित शरायतों के उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा शेष अवधि के लिए कोई अनुपातिक राशि संवेदक को नही लौटाई जावेगी। पूर्व में जमा अमानता राशि भी जब्त कर ली जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सवांई माधोपुर होगा। अमानता राशि ठेका का कार्य सफलता पूर्वक सम्पादित करने पर/अवधि पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी। उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की भी छूट देने का अधिकार सभापति/आयुक्त नगर परिषद को होगा।

15. शिकायत प्राप्त होने पर ठेका बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार नगर परिषद के पास सुरक्षित रहेगा। जिसकी किसी भी न्यायलयों में संबंधित ठेकेदार को वाद करने का अधिकार प्राप्त नही होगा।

16. परिषद के स्वयं के विज्ञापन व प्रचार प्रसार या राज्य सरकार के लिए नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थान पर विज्ञापन, होर्डिंग्स तुरंत लगाना होगा, जिसका संवेदक को कोई परिश्रमिक देय नही होगा।

17. किसी फर्म/व्यक्ति की नगर परिषद की ओर देय राशि बकाया है तो उसे बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

सभापति
नगर परिषद, सवाई माधोपुर

आयुक्त
नगर परिषद, सवाई माधोपुर